भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1824
(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो के मामले

1824. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे डेटा, फर्जी समाचार या छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार से जुड़े दर्ज मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है।

(ख) झूठे सांख्यिकीय या आर्थिक आंकड़ों के प्रसार की पुष्टि और उन पर कार्रवाई करने के लिए वर्तमान में मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है, विशेषकर जब ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल जनता को गुमराह करने या नीतिगत बहसों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है;

(ग) व्यक्तियों, संस्थाओं या राजनीतिक समूहों को बदनाम करने के इरादे से गलत सूचना और जानबूझकर लक्षित समाचार सामग्री का ब्यौरा क्या है और ऐसे लक्षित गलत सूचना अभियानों के पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा अधिकृत तथ्य-जांच निकायों के कामकाज पर कोई स्वतंत्र निगरानी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के बहाने असहमति या आलोचनात्मक पत्रकारिता को न दबाए और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या चुनावों या सांप्रदायिक तनावों के दौरान गलत सूचना फैलाने वाले डीपफेक, एआई-जनित झूठी सामग्री और डिजिटल रूप से परिवर्तित आख्यानों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए कोई विशिष्ट रणनीति है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से निपटना सरकार का परम कर्तव्य है। गलत सूचना से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रिंट मीडिया:** समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा जारी "पत्रकारिता आचरण के मानदंडों" का पालन करना अनिवार्य है। ये मानदंड, अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, मानदंडों के कथित उल्लंघनों की जाँच करती है और समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को, यथास्थिति, चेतावनी, फटकार या निंदा कर सकती है।
- **टेलीविजन मीडिया:** टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठे और विचारोत्तेजक संकेत और अर्ध-सत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021, में टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहाँ कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहाँ उचित कार्रवाई की जाती है।
- **डिजिटल मीडिया:** डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) एक आचार संहिता प्रदान करता है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की जाँच के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकृत स्रोतों से प्राप्त समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत, सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करती है।

*****